


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा
जिला-रीवा (म०प्र०)



Rs. 30/-

सं० ७ / सिंगरौली / 2017/2788

बद्री प्रसाद पाण्डेय पिता स्व० श्री बृज नन्दन राम पाण्डेय, उम्र-55 वर्ष, पेशा-कृषि,
निवासी ग्राम-बनौती, पो०-खुटार, तहसील-सिंगरौली, जिला-सिंगरौली, (म०प्र०)

.....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

मनीषा गुप्ता पति रामू गुप्ता, निवासी ग्राम-जरहा, पो०-जरहा, तहसील-सिंगरौली,
जिला-सिंगरौली, (म०प्र०) गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

आधि० श्री अरुण पाण्डेय
द्वारा पेशा / 22-8-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट, रीवा)

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
मण्डल खुटारा तहसील
सिंगरौली जिला सिंगरौली के
प्र०क०४०/अ-१२/२०१६-१७
आदेश दिनांक २६.०८.२०१७ के
विरुद्ध निगरानी

म० प्र० भू० रा० सं० की धारा
५० के अधीन निगरानी
याचिका

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

- 1- राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश म० प्र० भू० रा० सं० की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
- 2- राजस्व निरीक्षक ने यह भी नहीं देखा कि सीमांकित खसरा क्रमांक 173/1 रकवा 0.050 हे० का मौके पर नक्सा तरमीम नहीं है उसमें कहीं बटांकन नहीं है। नजरी नक्सा में इसकी सम्पूर्ण भूमि को दिखाया नहीं गया इसलिये अकेले इस भूमि का सीमांकन नहीं हो सकता, क्योंकि नक्सा में पूरी दो उपखण्ड 173/1 एवं 173/2 में विभाजित है तथा 173/2 की भूमि की सीमा नम्बर उनके पैमाइस अंकित नहीं की गई साथ ही भूमि की नाप किस मुख्य आधार


1/2/17

(236)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/भू-रा0/2017/2786 जिला-सिंगरौली

बद्री प्रसाद पाण्डेय/मनीषा गुप्ता

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल खुटार, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शमी) सदस्य</p>	